फर्द अहकाम

राजेश जसाला बनाम ममता वगै0

नाम न्यायालय –
केस संख्या.................................

क्र.सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से
	5/6/18 सीमा रवीनू Identify by [signature]	पत्रावली फोलोअप कैम्प फागी पर पेश। फरीकान वकील उप0। वकील वादी ने मय पुत्र बाद राजीनामा का प्रार्थना पत्र पेश किया। उभयपक्ष को सुना गया। बाद बहस वादी का वाद मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है। निर्णय प्रारूप से टंकित करवाकर शामिल मिसल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी फागी (जयपुर)

Scanned by CamScanner

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी, जिला जयपुर

[वादी]–राजेश

[प्रकरण] संख्या :10/2018 **वाद बाबत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा** प्रतिवादी–ममता व अन्य

[क्रम संख्या]	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण

–:निर्णय:–

आज यह पत्रावली 'न्याय आपके द्वार' राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट में पेश हुई।

वकील वादी एवं प्रतिवादी उप0। पैरोकार राज0 उप0।

वकील वादी ने निवेदन किया कि खाता संख्या 368 के आराजीयात खसरा नंबर 19, 24, 50/8, 54, 67, 122, 141, 142, 188, 6176, 6198, 6199, 6200, 6207, 6212, 6213, 6218, 6222 कुल किता 18 कुल रकबा 55 बीघा 7 बिस्वा एवं खाता संख्या 369 के आराजी खसरा नंबर 6203, 6205 कुल किता 2 कुल रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा ग्राम फागी, तहसील फागी, जिला जयपुर में खतौनी संख्या 368 में प्रतिवादी संख्या 5 के नाम संपूर्ण दर्ज राजस्व रिकॉर्ड भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 का 1/6–1/6 हिस्सा व खतौनी संख्या 369 में प्रतिवादी संख्या 5 के नाम संपूर्ण दर्ज राजस्व रिकॉर्ड में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 का 1/24–1/24 हिस्सा जन्मजात बनता है। राजस्व रिकॉर्ड में आराजीयात गलत दर्ज हो रखी है, न्यायहित में वादी वाद स्वीकार फरमाया जाकर खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावे।

वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 ने राजीनामा प्रस्तुत किया, शामिल पत्रावली किया गया। राजीनामा में पक्षकारान ने मुख्यतः यह तथ्य वर्णित किये है कि खाता संख्या 368 के आराजीयात खसरा नंबर 19, 24, 50/8, 54, 67, 122, 141, 142, 188, 6176, 6198, 6199, 6200, 6207, 6212, 6213, 6218, 6222 कुल किता 18 कुल रकबा 55 बीघा 7 बिस्वा एवं खाता संख्या 369 के आराजी खसरा नंबर 6203, 6205 कुल किता 2 कुल रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा ग्राम फागी, तहसील फागी, जिला जयपुर में खतौनी संख्या 368 में प्रतिवादी संख्या 5 के नाम संपूर्ण दर्ज राजस्व रिकॉर्ड भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 का 1/6–1/6 हिस्सा व खतौनी संख्या 369 में प्रतिवादी संख्या 5 के नाम संपूर्ण दर्ज राजस्व रिकॉर्ड में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 का 1/24–1/24 हिस्सा जन्मजात बनता है। वाद में वर्णितानुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 के हक में दावा डिक्री फरमाया जाता है तो पक्षकारान को कोई आपत्ति नहीं है। राजीनामा अनुसार वाद डिक्री फरमाया जावे।

पक्षकारान को सुना गया। पत्रावली में उपलब्ध जमाबंदी, राजीनामा वादी व प्रतिवादी सं. 1 लगायत 5, शपथ पत्र प्रतिवादी संख्या 5 भैरू पुत्र बोदू इत्यादि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन यह पाया गया कि आराजीयात में प्रतिवादी संख्या 5 रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 प्रतिवादी संख्या 5 के जायन्दा संतान है इस कारण वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 का आराजीयात में हक हिस्सा निहित है।

चूंकि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 ने राजीनामा के माध्यम से वादी वाद स्वीकार कर राजीनामानुसार वाद डिक्री किये जाने में अपनी पूर्ण सहमति प्रकट की है, न्यायहित में वादी वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

[हस्ताक्षर] उपखण्ड अधिकारी फागी (जयपुर)

Scanned by CamScanner

अतः वादी वाद राजीनामानुसार स्वीकार कर डिक्री किया जाकर खसरा नंबर 19, 24, 50/8, 54, 67, 122, 141, 142, 188, 6176, 6198, 6199, 6200, 6207, 6212, 6213, 6218, 6222 कुल किता 18 कुल रकबा 55 बीघा 7 बिस्वा ग्राम फागी पश्चिम, तहसील फागी जिला जयपुर की आराजीयात में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 प्रत्येक को 1/6–1/6 हिस्से का एवं खसरा नंबर 6203, 6205 कुल किता 2 कुल रकबा बीघा 10 बिस्वा ग्राम फागी पश्चिम, तहसील फागी, जिला जयपुर की आराजीयात में प्रतिवादी संख्या 5 के नाम दर्ज हिस्से में से वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 प्रत्येक को 1/24–1/24 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार फागी को निर्देशित किया जाता है कि निर्णयानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना स्वयं वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 04.06.2018 को राजस्व लोक अदालत फोलोअप कैम्प कोर्ट फागी में सुनाया गया।

(सावन कुमार चायल)
उपखण्ड अधिकारी
फागी

उपखण्ड अधिकारी
फागी जयपुर

उपखण्ड अधिकारी, फागी
जिला–जयपुर